इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 12 अंक संख्या: 4 नवम्बर, 2019 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------5
बैंकिंग जगत की घटनाएँ----------6
नई नियुक्तियाँ----------7
उत्पाद एवं गठजोड़----------7
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------9
नयी पहलकदमी ----------13
बाजार की खबरें ----------13

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

4थी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2019-20

मौद्रिक नीति समिति की चौथी द्विमासिक बैठक 1, 3 और 4 अक्तूबर, 2019 को आयोजित की गई। उक्त बैठक की प्रमुख बातें निम्नानुसार रहीं :

- पुनर्खरीद (repo) दर 25 आधार अंक घटाकर 5.15 % की गई।
- प्रतिवर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर घटाकर 4.90% की गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर घटाकर 5.40% की गई।
- विकासपरक और विनियामक नीतियों से संबन्धित वक्तव्य में मौद्रिक नीति समिति की 4थी द्विमासिक बैठक में निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किए गए:

1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- सूक्ष्म वित्त संस्थायें

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के उधारकर्ताओं के मामले में घरेलू आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बढ़ा कर 1.25 लाख रुपए और नगरीय/अर्ध-नगरीय क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित।
- उधार सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति पात्र उधारकर्ता 1.25 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित।

2. अपतटीय रुपया बाजार

घरेलू बैंकों को उनकी भारतीय बहियों में से या तो घरेलू बिक्री दल या फिर उनकी विदेशों में स्थित शाखाओं के माध्यम से अनिवासियों को हर समय मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा प्रदान करने की अनुमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित।

3. अनिवासी रुपया खाता

- रुपए में मूल्यवर्गित बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB), व्यापार ऋण और व्यापार बीजक-निर्माण को सुगम बनाने हेतु भारत से बाहर हने वाले व्यक्तियों को विशेष अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति देकर इस प्रकार के खाते के प्रसार-क्षेत्र को बढ़ाना।

4. प्रस्तावित 24 x 7 राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणाली के लिए चलनिधि सहायता

- भारतीय रिजर्व बैंक दिन-रात संपार्श्विकीकृत चलनिधि सहायता प्रदान करेगा। वर्तमान में, यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के कार्य-दिवसों को केवल सायं 7.45 बजे तक ही उपलब्ध है।

5. बड़े बैंकेतर पूर्व-प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं द्वारा आंतरिक लोकपाल

- बड़े बैंकेतर पूर्व-प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं के कार्यालयों में आंतरिक लोकपाल योजना को संस्था का रूप देना।
- आंतरिक लोकपाल से कंपनी/संस्था के भीतर एक मुस्तैद और किफ़ायत शिकायत निवारण व्यवस्था को सुगम बनाना अभिप्रेत है।

6. भुगतान प्रणाली के आंकड़ों का प्रसार

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों सहित भुगतान आंकड़ों के संबंध में अधिक दानेदार (granular) सूचना का प्रसार किया जाना।

7. स्वीकृति विकास निधि

- देशभर में टियर iii से लेकर टियर vi तक के केन्द्रों में डिजिटाइजेशन को बढ़ाने के लिए एक स्वीकृति विकास निधि सृजित करना।

8. डिजिटल भुगतान के पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित और गहनता प्रदान करना

राज्य/संघ शासित क्षेत्र UT) स्तरीय बैंकर समितियां बैंकों एवं हित-धारकों के परामर्श से प्रायोगिक आधार पर उनके संबन्धित क्षेत्रों में एक जिले की पहचान करेंगी। अभिज्ञात जिला उस जिले को 100% डिजिटल रूप से समर्थित करने का प्रयास कर रहे महत्वपूर्ण उपस्थिति रखने वाले एक बैंक को आबंटित किया जाना चाहिए।

सेबी ने निक्षेपागार रसीदें जारी किए जाने हेतु जारी की विस्तृत रूपरेखा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भारतीय कंपनियों की विदेशी निधियों तक वर्धित पहुँच में सहायता करने के लिए निक्षेपागार रसीदें जारी किए जाने हेतु एक विस्तृत रूपरेखा जारी की है। इसने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड और भारतीय तथा उसके साथ ही विदेशी निक्षेपागारों एवं घरेलू अभिरक्षकों के दायित्व निर्धारित कर दिये हैं। केवल किसी सूचीबद्ध कंपनी को ही अनुमेय प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति है, वैकल्पिक रूप से उनके धारक निक्षेपागार रसीदें जारी किए जाने के लिए ऐसी प्रतिभूतियाँ हस्तांतरित कर सकते हैं।

सेबी ने जारी की वाणिज्यिक पत्रों के सूचीकरण हेतु रूपरेखा

वाणिज्यिक पत्रों जैसी प्रतिभूतियों में निवेशक सहभागिता को व्यापक बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इन प्रतिभूतियों के शेयर बाज़ारों में सूचीकरण हेतु एक रूपरेखा जारी की है। वाणिज्यिक पत्रों के सूचीकरण को समर्थ बनाने तथा निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को यह महत्वपूर्ण लगता है कि इसप्रकार की प्रतिभूतियाँ जारी करने के इच्छुक किसी

जारीकर्ता को सूचीकरण के समय और निरंतर आधार पर पयुक्त प्रकटन करना चाहिए।

5

इन दिशानिर्देशों के तहत किसी ऐसे जारीकर्ता, जो अपने वाणिज्यिक पत्र को सूचीबद्ध कराने का इच्छुक ह , को निर्धारित प्रकटनों के साथ शेयर बाज़ारों को एक आवेदन भेजना चाहिए। जारीकर्ता को वित्तीय परिणामों, आस्ति-देयता प्रबंधन तथा निर्गम के विवरणों को भी प्रकट करना होगा। उक्त आवेदन को शेयर बाजार का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद उस आवेदन के साथ इन प्रकटनों को शेयर बाज़ारों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

सदा-सुलभ भुगतान प्रणालियों के प्राधिकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश

नवोन्मेष और स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न सहभागियों के लिए न्यूनतम निवल मालियत सहित सदा-सुलभ (on-tap) भुगतान प्रणालियों के प्राधिकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। सदा-सुलभ प्राधिकरण अब तक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (BBPOU) , व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (TReDS) और श्वेत लेबल वाले एटीएमों (WLAs) को ही प्रदान किया गया है।

भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई के लिए कार्य कर , उसका परिचालन करने अथवा उसे प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की इच्छुक कंपनियों को 100 करोड़ रुपए की निवल मालियत रखने वाली होना चाहिए तथा उसे हर समय बनाए रखा जाना चाहिए। श्वेत लेबल एटीएम खंड में प्रवेश की इच्छुक कंपनियों को न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निवल मालियत वाली होना चाहिए, जबकि व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली के मामले में न्यूनतम चुकता/प्रदत्त इक्विटी पूंजी 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य-स्तरीय बैंकों से डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को

विस्तारित करने के लिए कहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्य-स्तरीय बैंकर समितियों को डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक जिला प्रत्येक के आधार पर निर्धारित करने का निर्देश दिया है। समरूप जिला उस जिले को एक वर्ष के भीतर 100% डिजिटल रूप से समर्थित बनाने के उद्देश्य के साथ किसी ऐसे बैंक को आबंटित किया जाना चाहिए जो उल्लेखनीय डिजिटल पद चिन्ह वाला हो। भारतीय रिजर्व बैंक की आकांक्षा है कि जिले का प्रत्येक व्यक्ति डिजिटल विधि से सुरक्षित, निरापद, शीघ्र, वहनीय एवं सुविधाजनक रीति से भुगतान करने/प्राप्त करने में समर्थ हो। इस प्रकार के लेनदेनों का संचालन करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक मूलभूत सुविधा और साक्षरता उपलब्ध कराएगा। किसी बैंक को समरूप जिले का आबंटन पारस्परिक परामर्श और बैंक द्वारा स्वैच्छिक सहमति के माध्यम से आदर्श रूप में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य-स्तरीय बैंकर समिति/ संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति को इस कार्य में हुई प्रगति की तिमाही आधार पर निगरानी करनी तथा उसकी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों/उप कार्यालयों को की जानी चाहिए।

मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों में निवेश करने हेतु नीति का प्रतिष्ठापन करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों (InvITs) - एक ऐसी सामूहिक निवेश योजना जो वैयक्तिक एवं संस्थागत निवेशकों को मूलभूत सुविधा परियोजनाओं में धन के प्रत्यक्ष निवेश (और उनके निवेशों से होने वाले प्रतिलाभ) मे समर्थ बनाती है- में निवेश करने के लिए बैंकों से उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति प्रतिष्ठापित करने के लिए कहा है। बैंक बोर्डों की लेखा-परीक्षा समिति को अनुपालन की अर्ध-वार्षिक आधार पर समीक्षा करनी चाहिए। बैंक केवल उन्हीं मूलभूत सुविधा निवेश न्यासों को उधार देंगे जिनमें मौजूदा बैंक ऋण प्राप्त कर रखने वाली कोई भी अंतर्निहित विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही हो।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री मल्लिकार्जुन **राव**	पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुअ	उद्देश्य
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)	यूनियन बैंक गव इंडिया	गवर्नमेंट मार्केटप्लेस को निधियों के अंतरण सहित कतिपय सेवाएँ प्रदान करना।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)	फेडरल बैंक	गवर्नमेंट मार्केटप्लेस को निधियों के अंतरण सहित भुगतान से संबन्धित कई एक सेवाएँ प्रदान करना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 अक्तूबर, 2019 के दिन बिलियन रुपए	25 अक्तूबर, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	3139068	442583
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2911171	410453
1.2 सोना	191868	27052
1.3 विशेष आहरण अधिकार	10219	1,441
1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि 25810 की स्थिति	25810	3636

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

नवम्बर, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष

अमरीकी डालर	1.71900	1.61600	1.55480	1.55500	1.54500
जीबीपी	0.74090	0.7679	0.756	0.7579	0.7628
यूरो	-0.35000	-0.357	-0.335	-0.300	**-0.250**
जापानी येन	-0.06750	-0.094	-0.091	-0.111	-0.101
कनाडाई डालर	2.09000	1.844	1.824	1.809	1.796
आस्ट्रेलियाई डालर	0.89360	0.848	0.866	0.996	1.038
स्विस फ्रैंक	-0.66750	-0.663	-0.608	-0.561	-0.530
डैनिश क्रोन	-0.27050	-0.254	-0.240	-0.194	-0.152
न्यूजीलैंड डालर	1.05800	1.060	1.042	1.069	1.113
स्वीडिश क्रोन	0.14400	0.140	0.150	0.172	0.208
सिंगापुर डालर	1.46250	1.445	1.460	**1.478**	1.520
हांगकांग डालर	2.04000	1.915	1.860	1.830	1.820
म्यामार	3.32000	3.290	3.310	3.320	3.345

शब्दावली

व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (TReDS)

व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (TReDS) सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कारपोरेट और अन्य क्रेताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की व्यापारिक प्राप्यराशियों के एकाधिक वित्तपोषकों के माध्यम से वित्तीयन को सुगम बनाने के लिए संस्थागत व्यवस्था/तंत्र गठित करने तथा परिचालित करने की एक योजना है। व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (TReDS) बीजकों और उनके साथ ही विनिमय बिलों, दोनों की भुनाई को सुगम बनाएगी। व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (TReDS) के तहत संसाधित लेनदेन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दायित्व-रहित होंगे।

हेयरकट

हेयरकट से आशय है किसी ऋण के लिए संपार्श्विक (collateral) के रूप में उपयोग में लाई जा रही किसी आस्ति का उसके बाजार-मूल्य से कमतर लगाया जाने वाला मूल्य। हेयरकट का आकार व्यापक तौर पर अंतर्निहित आस्ति के जोखिम पर आधारित होता है। अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाली आस्तियों को बड़े हेयरकट प्राप्त होते हैं। हेयरकट को दो मूल्यों के बीच घटाए गए मूल्य के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवंबर, 2019 के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत शिक्षण	14 से 16 नवंबर, 2019 तक	वीसीआरटी
प्रमाणित लेखांकन और लेखा-परीक्षा व्यावसायिकों के लिए परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	15 से 17 नवम्बर, 2019 तक	मुम्बई
वित्तीय सेवाओं में जोख़िम पर प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	18 से 18 से 20 नावम्बर, 2019 तक	नई दिल्ली
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत शिक्षण	2 20 से 22 नवम्बर, 2019 तक	वीसीआरटी
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	20 से 22 नावम्बर, 2019 तक	कोलकाता
वित्तीय सेवाओं में जोख़िम पाठ्यक्रम पर प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	28 से 28 से 30 नवम्बर, 2019 तक	चेन्नै

संस्थान समाचार

10वां आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान

संस्थान द्वारा आयोजित किया जाने वाला 10वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्या
22 नवंबर, 2019 को भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार और जी-20 ढांचे के कार्य
दल के सह-अध्यक्ष श्री संजीव सान्याल द्वारा दिया : ने वाला है। इस व्याख्यान का विषय है "डीलिंग विद अनसर्टेन वर्ल्ड : रेग्यूलेशन वर्सेस सुपरविजन।"

बैंकिंग प्रौद्योगिकी में शोध फ़ेलोशिप

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा पूर्णत: निधीयन सुविधा प्राप्त बैंकिंग प्रौद्योगिकी में शोध फ़ेलोशिप इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) तथा बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (IRDBT) की एक पहलकदमी है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य तकनीकी और आर्थिक रूप से संभाव्य ऐसी शोध परियोजनाओं को प्रायोजित करना है जिनमें बैंकिंग एवं वित्त उद्योग के प्रति महत्वपूर्ण रूप से योगदान करने की संभाव्यता निहित हो। वे क्षेत्र जिनमें शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, वेबसाइट में सूचीबद्ध किए गए हैं। उक्त योजना 15-10-2019 से 14-01-2020 तक खुली है।

सूक्ष्म/स्थूल आलेख आमंत्रित

संस्थान वर्ष 2019-20 के लिए सूक्ष्म आलेख एवं स्थूल शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। वे विषय जिन पर सूक्ष्म/ स्थूल आलेख प्रस्तुत किए जाने हैं, वेबसाइट में सूचीबद्ध हैं। आलेख/प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है। विवरण के लिए **www.iibf.org.in.** देखें।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-

शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म -समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

बैंकों में क्षमत निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रें, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये

पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइ www.iibf.org.in देखें।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भ आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

"बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंक अक्तूबर - दिसंबर, 2019 के लिए विषय-वस्तु है : "वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता" (Financial Inclusion & Financial Literacy)।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2019 से जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए आयोजित की
जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 दिसंबर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6
5.8
5.6

14

5.4
5.2
5
4.8
4.6

मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, अकतूबर, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

अमरीकी डालर
जीबीपी
यूरो
येन

अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अकतूबर, 2019
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

15
13
11
9
7

15

5

अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अकतूबर, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

42000.00
40000.00
38000.00
36000.00
34000.00
32000.00
30000.00

मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितम्बर, 2019, अकतूबर, 2019
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

12
11
10
9

8
7
6
5

अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2019

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, □□ □□□□ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आप□ बैंकिंग एं□ फाइनैन्स की □□ □प्रकाशित □□ □□□□ प्रेस, 16 □□□□ □□□, □□□□, □□□- 400 018 में मुद्रित □□इंडियन इंस्टिट्यूट आप□ बैंकिंग एं□ फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, □□□-1, 2री □□□, किरोल □□, कुर्ला (पश्चिम),,□□ – 400 070 □प्रकाशित।

□□□□ : □□ □□□□ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आप□ बैंकिंग एं□ फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, □□□-1, 2री □□□,
किरोल □□, कुर्ला (पश्चिम), ,□□ – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
□□ : INSTIEXAM □-□□ : admin@iibf.org.in.
□□□□□ : www.iibf.org.in.

□□□□□□□ विजन नवम्बर, 2019